सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़, 1943 (श०)
संख्या- 362 राँची, गुरुवार, 22 जुलाई, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

कार्यालय आदेश

8 जून, 2021

संख्या-09/आरोप-सरायकेला-खरसावाँ-31/2018-1890-(09)--श्री प्रफुल कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सरायकेला-खरसावाँ के विरूद्ध उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-49, दिनांक-24.02.2018 के द्वारा प्रतिबंधित सूची में होने बावजूद निबंधन किये जाने का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-2005, दिनांक-09.05.2018 द्वारा उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से आरोप प्रपत्र-'क' की माँग की गई । उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-555, दिनांक-21.08.2019 द्वारा श्री प्रफुल कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सरायकेला-खरसावाँ के विरूद्ध आरोप प्रपत्र-'क' विभाग को प्राप्त हुआ । श्री कुमार के विरूद्ध जिला अवर निबंधन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ (विभाग/कार्यालय) के अधीन जिला अवर निबंधक के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ के पत्रांक-289/सा०, दिनांक-11.05.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिबंधित सूची में अंकित कुल-17 दस्तावेजों में से चार प्रतिबंधित सूची के भूमि के संबंधी दस्तावेज का दिनांक-22.06.2015 के बाद (प्रतिबंधित सूची प्राप्त होने के बाद) निबंधन करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया । श्री कुमार द्वारा सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (i) (ii) एवं (iii) के प्रावधानानुसार सरकारी सेवक के पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा का पालन नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया ।

आरोप प्रपत्र-'क' के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-3942, दिनांक-21.10.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

श्री कुमार द्वारा उनके पत्रांक-470, दिनांक-09.11.2019 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में श्री कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया कि दस्तावेज संख्या-27/2017, 1050/2017, 2560/2016 एवं 2586/2016 का विधिवत उपस्थापन के उपरांत निबंधन कार्यालय कर्मियों के जाँचोपरांत उनके द्वारा दस्तावेज सही पाये जाने का पृष्ठांकन दर्ज करने के उपरांत उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है । उक्त दस्तावेजों में जिला अवर निबंधक के निर्धारित कार्यो एवं दायित्वों का विहित एवं पूर्ण निर्वहन किया गया है एवं जिला अवर निबंधक के निर्धारित कार्या के कार्य संपादन में किसी प्रकार की उनके स्तर से नहीं हुई है ।

दस्तावेज का निबंधन एक समेकित प्रक्रिया है जिसमें कार्यालय कर्मियों एवं जिला अवर निबंधक द्वारा विभिन्न प्रक्रियागत कार्यो का संपादन कर निबंधन सम्पन्न किया जाता है। निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, रांची के विभागीय पत्रांक-471/नि०, दिनांक- 17.07.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी दस्तावेज का निबंधन एक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय के माध्यम से जिला अवर निबंधक द्वारा किया जाता है । इस प्रक्रिया में प्रधान लिपिक व अन्य लिपिकों की भी भूमिका होती है ।

बिहार निबंधन हस्तक के भाग-2 (Vol-2 of Bihar Registration Mannual) की कंडिका संख्या-234 के अनुसार विभिन्न लिपिकों को कार्य आवंटित होता है एवं वह इसके लिए उत्तरदायी होता है। कंडिका संख्या-234 के अनुसार, He (the clerk) should be held responsible for the correctness of the entries made in the tegisters and of the miscellaneous duties, अतः विलेखों की जांच हेतु संबंधित लिपिक की जिम्मेवार होते है । दिनांक-22.06.2015 को गम्हरिया अंचल का प्रतिबंधित सूची जिला निबंधन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ को प्राप्त है । कार्यालय कर्मियों द्वारा दस्तावेज निबंधन से पूर्व उक्त प्रतिबंधित सूची से दस्तावेज में वर्णित भूमि का जांच करना दिनांक-22.06.2015 से आवश्यक होता रहा है । ऐसा परिपाटी उनके पद पर योगदान देने से पूर्व से रही है ।

दस्तावेज की जांच एवं प्रतिबंधित भूमि की सूची से वर्णित भूमि जांचने का दायित्व कार्यालय लिपिक श्री विरेन्द्र हांसदा को आवंटित रहा है तथा उनके द्वारा आशय का दस्तावेज में पृष्ठांकन अंकित किया जाता है । प्रासंगिक दस्तावेजों में श्री विरेन्द्र हांसदा द्वारा दस्तावेजों को जांचा गया है एवं ''दस्तावेज जांचा एवं सही पाया'' तथा ''दस्तावेज में वर्णित भूमि प्रतिबंधित सूची से बाहर है'' का दस्तावेजों में पृष्ठांकन अंकित किया गया है ।

प्रमाण स्वरूप दस्तावेज सं०-27/2017, 1050/2017, 2560/2016 एवं 2586/2016 में कार्यालय लिपिक श्री विरेन्द्र हांसदा द्वारा ''दस्तावेज जांचा एवं सही पाया'' तथा ''दस्तावेज में वर्णित भूमि प्रतिबंधित सूची से बाहर है''। का पृष्ठांकन अंकित किया गया है । अतः प्रतिबंधित भूमि की सूची से दस्तावेज में वर्णित भूमि का जांचने का कार्य कार्यालय लिपिक श्री विरेन्द्र हांसदा का दायित्व था जिसे श्री हांसदा द्वारा निर्वाहन किया गया है । जिला अवर निबंधक को उक्त पृष्ठांकन के उपरांत दस्तावेज में वर्णित भूमि का प्रतिबंधित भूमि की सूची से बाहर होने का पूर्ण विश्वास करना उचित था। उक्त विश्वास एवं भरोसे (Good faith) के आधार पर दस्तावेज का निबंधन सम्पन्न करने पर जिला अवर निबंधक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ।

उनके द्वारा सम्पादित कार्य पूर्ण रूप से विधिसम्मत है तथा उक्त भूमि (अंचल-गम्हरिया, थाना-130, खाता-152, प्लॉट-1660, 1677, 1678) का प्रतिबंधित भूमि की सूची में होने की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं रहा है।

विभाग द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में सभी प्रमाण-पत्र तथा खतियान/नामांतरण आदेश/भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज के साथ संलग्न है तथा दस्तावेज पूर्ण है। झारखण्ड सरकार, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-195, रांची दिनांक-19.02.2016 के अनुसार कंडिका संख्या-1 के अनुसार खतियान अथवा पंजी-II (Register-II) की प्रति अथवा भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा शुद्धि पत्र (Correction slip) दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाएगा। कंडिका-6 के अनुसार पंजी-2/शुद्धि पत्र/भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर निबंधन पदाधिकारी के द्वारा अविलंब निबंधन किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में विलेख का निबंधन करना अनिवार्य था तथा उस विलेख को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था ।

दस्तावेज में दस्तावेज जांच (दस्तावेज निबंधन के समेकित प्रक्रिया के अंतर्गत) लिपिक श्री विरेन्द्र हांसदा द्वारा दस्तावेज में वर्णित भूमि का प्रतिबंधित सूची से बाहर होने का पृष्ठांकन दर्ज होना, दस्तावेज में वर्णित भूमि का रैयती होने के प्रमाण स्वरूप खतियान का संलग्न का होना, नामांतरण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न होना, मालगुजारी रसीद का संलग्न होना, अंचलाधिकारी गम्हरिया द्वारा वर्णित भूमि का 'जमाबंदी कायम है एवं उक्त भूमि पर खतियानी रैयत है'' की घोषणा की भूमि संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, आदि होने के बावजूद उनके द्वारा विधिपूर्वक निबंधन अस्वीकार करना, उचित नहीं था एवं नियम विरूद्ध निबंधन अस्वीकृति होता। भारतीय निबधंन अधिनियम, 1908 की धारा-71 एवं 74 के आधार पर ही जिला अवर निबंधन किसी दस्तावेज के निबंधन को अस्वीकार कर सकता है । यदि विलेख निबंधन हेतु उपस्थापित किया जाता है और उस विलेख के अंतरण मूल्य के समानुपातिक मुद्रांक शुल्क दिया गया है तो उसे बिना आपति के स्वीकार करने का निदेश है । इस नियम के विरूद्ध जिला अवर निबंधक अथवा जिला निबंधक/उपायुक्त को कोई शक्ति प्रदत्त नहीं है । चुकि उक्त सभी प्रक्रियाओं के सम्पन्नता पश्चात् निबंधन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया तथा इस प्रक्रिया में उनके/श्री प्रफुल्ल कुमार के स्तर पर कोई चूक नहीं हुई है ।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ का मंतव्य विभागीय पत्रांक-307, दिनांक-22.01.2020 द्वारा माँगा गया जिसके आलोक में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-05(ए०), दिनांक-15.05.2020 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया । मंतव्य प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि समीक्षोपरांत पाया गया है कि दस्तावेज में वर्णित भूमि का निबंधन के पूर्व राजस्व खतियान से जाँच नहीं किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है एवं इस बिन्दु पर निबंधन पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही बरती गई है । साथ ही उक्त भूमि के निबंधन में यदि किसी प्रकार का कोई संदेह था तो राजस्व विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही निबंधन किया जाना चाहिए था। अतः श्री प्रफुल कुमार, तत्कालीन जिला निबंधन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है ।

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के मंतव्य पर निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त किया गया। निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निबंधन कार्यालय में प्रस्तुत दस्तावेज के निबंधन का कार्य विभिन्न स्तरों पर सम्पादित किया जाता है, जिनमें दस्तावेज

में वर्णित मूल्यांकन की जांच, चुकाये गये मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की जांच, दस्तावेज की भूमि की प्रतिबंधित सूची में होने की जांच पक्षकार के आधार का सत्यापन, पैन नं० का सत्यापन आदि है । इन कार्यो की जांच निबंधन कार्यालय के लिपिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा करने के उपरांत दस्तावेज निबंधन हेतु निबंधन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। निबंधन अधिनियम की धारा-34 एवं 35 के अनुसार निबंधन के पूर्व निबंधन पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य की जांच की जाती है कि निष्पादक (Executant) द्वारा अपना निष्पादन (Execution) सकारा जा रहा है या नहीं, निष्पादक (Executant) व्यस्क है अथवा अव्यस्क, निष्पादन मानसिक रूप से संतुलित है अथवा । तदोपरांत निबंधन पदाधिकारी द्वारा अंतिम रूप से दस्तावेज निबंधित किया जाता है। वर्तमान मामले में यदि आरोप शाखा इस तथ्य से संतुष्ट है कि प्रतिबंधित सूची में रहने के उपरांत भी दस्तावेज के निबंधन हेतु निबंधन पदाधिकारी ही उत्तरदायी है तथा इसके निबंधन में लिपिकों का कोई दोष नहीं है, तो आरोप शाखा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अपने स्तर से लिया जा सकता है ।

निबंधन महानिरीक्षक का मंतव्य के आलोक में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से पुनः वस्तुस्थिति स्पष्ट कर मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक-2297, दिनांक- 08.09.2020 प्रेषित किया गया । उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-15/स्था०, दिनांक 07.01.2021 द्वारा मंतव्य दिया गया कि निबंधन पदाधिकारी अपने कार्यालय के प्रधान होते है एवं उनके अधीनस्थ लिपिकगण उनके द्वारा आदेशित/निर्देशित कार्या को सम्पन्न करते है । बिहार निबंधन मैनुअल (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के कंडिका-27(e), कंडिका-98 एवं कंडिका-234 में लिपिकों के कार्यो एवं उत्तरदायित्व के संबंध में निर्देश अंकित है एवं दस्तावेजों के निबंधन में लिपिकों की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है । जिसके अनुसार संबंधित लिपिक के द्वारा कंडिका के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। इसमें निबंधन पदाधिकारी को दोषी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है । विषयगत मामले पर संबंधित लिपिकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रहीं है । अतः सहमति की स्थिति में श्री प्रफुल कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, सरायकेला-खरसावाँ को आरोप से मुक्त करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है । उपायुक्त, सरायकेला -खरसावाँ के मंतव्य तथा संबंधित जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय निर्णयानुसार श्री प्रफुल कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सरायकेला-खरसावाँ को आरोप-मुक्त किया जाता है ।

उपरोक्त प्रस्ताव माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 362 - 50